# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 37/2021

प्रार्थी –

1. चेतनपुरी पुत्र हुकमपुरी
2. हिरपुरी पुत्र हुकमपुरी
3. सुमेरपुरी पुत्र हुकमपुरी
4. उमादेवी पत्नी भीखपुरी
5. दुर्गा पत्नी लालपुरी
6. अमरूदेवी पत्नी तेजभारती
7. कैलाश भारती पुत्र तेजभारती

जातियान स्वामी निवासीयान साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

*बनाम*

अप्रार्थीगण –

1. सरपंच, ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह
2. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साजियाली पदमसिंह

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 1 दिनांक 10.07.2021 जिसके तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह द्वारा जारी किया गया।**


पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 37/2021

प्रार्थी –

1. चेतनपुरी पुत्र हुकमपुरी
2. हिरपुरी पुत्र हुकमपुरी
3. सुमेरपुरी पुत्र हुकमपुरी
4. उमादेवी पत्नी भीखपुरी
5. दुर्गा पत्नी लालपुरी
6. अमरूदेवी पत्नी तेजभारती
7. कैलाश भारती पुत्र तेजभारती

जातियान स्वामी निवासीयान साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

*बनाम*

अप्रार्थीगण –

1. सरपंच, ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह
2. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साजियाली पदमसिंह


न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:33 IST
Reason: SelfAttested

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 2 दिनांक 10.07.2021 जिसके तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह द्वारा जारी किया गया।**

उपस्थिति :— उक्त दोनों ही निगरानी प्रार्थना—पत्रों में—
1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

## निर्णय

दिनांक : 01.06.2022

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त दोनों ही निगरानी प्रार्थना—पत्रों में समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु होने से दोनों ही निगरानी प्रार्थना—पत्रों का एक संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 162(2) के तहत ग्राम साजियाली पदमसिंह में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 1 एवं 2 दिनांक 10.07.2021 जारी किये गये। इन पट्टा विलेखों को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टों की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त दो अलग—अलग निगरानी प्रार्थना इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:33 IST
Reason: SelfAttested

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीगण जो कि आपस में रिश्तेदार हैं, के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड ग्राम साजियाली पदमसिंह की आबादी भूमि के खसरा नंबर 408 मूल रकबा 79–10 बीघा में आये हुए हैं एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। आलोच्य भूखण्ड पर निगरानीकर्तागण विगत 40–50 वर्षों से अपने पूवर्जों के समय से निवास कर रहे हैं। मौके पर प्रार्थीगण अपने कच्चे–पक्के परिसर बनाकर शांतिपूर्वक निर्बाध एवं आधिपत्य से रह रहे हैं। उक्त भूखण्ड पर आज भी मकानात, झोपड़ें और टांके बने हुए हैं। निगरानीकर्तागण की ओर से ग्राम पंचायत व उच्चाधिकारियों को मौखिक एवं लिखित में कई बार उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत साजियाली की आबादी भूमि में जारी करने का निवेदन भी किया गया है किन्तु ग्राम पंचायत स्तर पर अभी तक पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। उक्त भूखण्ड पर ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह द्वारा आबादी भूमि में से पट्टा सं. 1 एवं 2 दिनांक 10.07.2021 के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दोनों ही निगरानी प्रार्थना–पत्रों में आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 को जारी करने से पूर्व मौके पर काबिज लोगों की रहवासीय स्थिति बाबत कोई भौतिक रिपोर्ट ली गई और न ही किसी प्रकार की आपत्ति सूचना आमंत्रित की गई। अप्रार्थी संख्या 2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साजियाली पदमसिंह के लिए पूर्व से ही साजियाली मूलराज क्यार के खसरा नंबर 197/10 रकबा 94–06 बीघा में से 16–10 बीघा भूमि तत्कालीन जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 18.08.2020 के जरिये निःशुल्क आवंटित हुई है। उक्त आवंटन पर विद्यालय भवन एवं खेल मैदान निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी वित्तीय स्वीक[illegible] 43.85 लाख भी साजियाली मूलराज क्यार के खसरा [illegible] बीघा में से 16–10 बीघा भूमि के लिए हुई है। ऐसी स्थिति [illegible] मौके पर निगरानीकर्ता के कब्जे को अनदेखा करते हुए पंचायत नियमों के विपरित जाकर आलौच्य पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

विलेख जारी किये गये हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत की आम सभा में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टों का कहीं भी उक्त पट्टों की पत्रावली संख्या 1/2021 में किसी भी सक्षम प्राधिकारी की मौका रिपोर्ट संलग्न नहीं है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि प्रस्तावित पट्टे पर आवेदक का कितने वर्षों से आधिपत्य है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह दोनो ही निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह द्वारा जारी किये गये आलौच्य दोनों पट्टे दिनांक 10.07.2021 को निरस्त किये जावें।

5. अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह द्वारा आलोच्य पट्टे जारी करने से पूर्व उक्त आबादी भूमि का निरीक्षण सक्षम स्तर पर गठित कमेटी द्वारा करवाया गया था। तहसीलदार पचपदरा के आदेशानुसार दिनांक 27.03.2021 को हलका पटवारी द्वारा ग्राम साजियाली पदमसिंह के खसरा संख्या 408 रकबा 79–10 बीघा किस्म गैर–मुमकिन आबादी भूमि का सीमाज्ञान पड़ौसी खसरों के खातेदारों व मौजीज व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया, जिससे आबादी भूमि व अन्य खातेदारी भूमि के मध्य किसी प्रकार का सीमा विवाद भी नहीं रहा है। इसकी मौका निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली के संलग्न है। इसके पश्चात सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उक्त पट्टे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर की पूर्वानुमति से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 162(2) के तहत विधिपूर्वक जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य भूमि पर अतिक्रमियों के रूप में बैठे कुछ परिवारों को विधि अनुसार नोटिस जारी कर अवैध अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया था। इस [illegible] उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा आदेश दिनांक 10.06.2021 [illegible] अतिक्रमण हटाने की अनुमति प्रदान की थी जिसकी पालना में पंचायत [illegible] आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। अतः निगरानीकर्ता एक अतिक्रमी के रूप में हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

एवं जिन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानी प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. हमने दोनों पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 162(2) के तहत ग्राम साजियाली पदमसिंह में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 1 एवं 2 दिनांक 10.07.2021 जारी किये गये। इस संबंध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 21.10.2020 में अप्रार्थी संख्या 2 प्रधानाचार्य राउमावि साजियाली पदमसिंह द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर पंचायत मुख्यालय पर संचालित विद्यालय के लिए पर्याप्त भवन नहीं होने से अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया गया। इस पर प्रस्ताव संख्या 1 के निर्णय अनुसार आवेदित भूमि के निरीक्षण हेतु मौका कमेटी का गठन किया गया। पंचायत की आगामी बैठक दिनांक 06.11.2020 में मौका कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत हुई एवं कमेटी द्वारा आवंटन बाबत किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना पाया गया। इसके पश्चात सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रण हेतु एक माह का नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 21.12.2020 में सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रण की मयाद पूरी होने पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने से आवेदित आवंटन का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही उक्त बैठक के प्रस्ताव संख्या 1 में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदित भूखण्ड 1000 वर्गगज से अधिक होने से आवंटन की क्षेत्राधिकार [illegible] कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर की होने [illegible] भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर द्वारा पत्र दिनांक 09.07.2021 के द्वारा उक्त आवंटन की स्वीकृति जारी किये जाने के अनुसरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

में उक्त आलौच्य पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में आलौच्य पट्टे जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि, प्रक्रियात्मक अनियमितता अथवा अपूर्णता परिलक्षित नहीं हो रही हैं। जहां तक प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन हैं कि विवादित भूखण्ड पर उनका पुराना कब्जा हैं तो इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं, साथ ही कब्जे के विनियमितीकरण हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का भी कोई उल्लेख नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य आवंटन सार्वजनिक हितार्थ विद्यालय को किया गया हैं, जिसके लिये पुराना कब्जा होने का कोई विधिक प्रावधान नहीं हैं। अतः उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन के मध्यनजर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनो ही निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह दोनो ही निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

( लोक बंधु )
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:33 IST
Reason: SelfAttested